R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 5
नवंबर 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

बचत खातों पर अतिरिक्त दिशानिर्देश

बचत खाते में न्यूनतम शेष नहीं बनाए रखना

रिज़र्व बैंक ने 20 नवंबर 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे बचत बैंक खाते में अपेक्षित न्यूनतम जमा शेष नहीं बनाए रखने के लिए प्रभार लगाते समय 1 अप्रैल 2015 से निम्नलिखित अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करें:

- बैंक और ग्राहक के बीच हुए समझौते के अनुसार खाते में न्यूनतम शेष राशि/ औसत न्यूनतम शेष बनाए रखने में चूक होने पर बैंक ग्राहकों को एसएमएस/ई-मेल/पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित करें कि सूचना की तारीख से एक महीने के भीतर न्यूनतम शेष नहीं रखे जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रभार लगाए जाएंगे।
- यदि उचित अवधि जो कमी की सूचना की तारीख से एक महीने से कम नहीं होगी, के भीतर न्यूनतम शेष बहाल नहीं किया गया तो खाताधारक को सूचित करते हुए दण्डात्मक प्रभार वसूल किए जाएं।
- इस प्रकार लगाए गए दण्डात्मक प्रभारों पर नीति संबंधी निर्णय बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से लिए जाएं।
- दण्डात्मक प्रभार सीधे पाई गई कमी की सीमा के अनुपात में होने चाहिए। दूसरे शब्दों में लगाए गए प्रभार खाता खोलते समय हुए समझौते के अनुसार रखे गए वास्तविक शेष और न्यूनतम शेष के बीच अंतर की राशि पर निर्धारित प्रतिशत के रूप में हों। प्रभारों की वसूली के लिए एक उपयुक्त स्लैब संरचना को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- दण्डात्मक प्रभार विवेकसम्मत हों तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की औसत लागत की सीमा से अधिक न हों।
- न्यूनतम शेष बनाए नहीं रखने के लिए लागू प्रभारों के कारण बचत खाते में शेष नकारात्मक शेष में नहीं बदले।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे अपनी संबंधित वेबसाइट पर जारी करने के अलावा इन अतिरिक्त दिशानिर्देशों को ग्राहकों के ध्यान में लाया जाए। इसी बीच सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहक सूचना को अद्यतन करने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एसएमएस/ई-मेल आदि) द्वारा अलर्ट भेजने में सुविधा हो सके।

केवाईसी के अंतर्गत सावधिक अद्यतन पर स्पष्टीकरण

मौजूदा ग्राहकों में उच्च/मध्यम/कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए क्रमशः दो/आठ/दस वर्ष के अंतराल पर 'ग्राहक द्वारा उचित सावधानी' के उपाय लागू करने को जारी रखने की सूचना देते हुए रिज़र्व बैंक ने 21 अक्टूबर 2014 को केवाईसी मानदंडों के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण निम्न प्रकार जारी किए हैं:

- 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों की पहचान और पते में यदि कोई परिवर्तन न हो तो, बैंकों को आवधिक अद्यतनीकरण के समय उनसे पहचान और पते के नए प्रमाण मांगने की आवश्यकता नही हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक द्वारा इस संबंध में स्वप्रमाणन ही पर्याप्त होगा। ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के पते में परिवर्तन होने पर वे केवल दस्तावेज (पते का प्रमाण) की सत्यापित प्रति मेल/डाक इत्यादि से भिजवा सकते हैं। बैंक आवधिक अद्यतनीकरण के समय ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के व्यक्तिशः उपस्थित होने पर जोर न दें।
- यदि बैंक का कोई मौजूदा ग्राहक जिसके संबंध में केवाईसी अनुपालन हो चुका है, उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए नए सिरे से पहचान का प्रमाण और / अथवा पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जहां तक, बैंकों द्वारा बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाला ग्राहकों का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले ऐसे खातों के लिए चरणबद्ध रूप में 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू करें। इसी बीच, खाताधारक प्रभावी अनुदेशों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते को पुनः चालू करा सकता है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू करने हेतु वे यह सुनिश्चित कर लें कि 'आंशिक फ्रीजिंग' के विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व केवाईसी अपेक्षाएं पूरी करने हेतु ग्राहक को शुरुआत में तीन माह का अपेक्षित नोटिस दिया गया है और इसके बाद स्मरण पत्र जारी करके तीन माह का और समय दिया गया है। यदि शुरुआती 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू किए जाने के बाद भी खाते में छह माह तक केवाईसी अनुपालन नहीं होता है तो बैंक इसे अपरिचालित मानते हुए खाते से सभी नामे और जमा लेनदेनों हेतु मनाही कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक के पास ऐसे ग्राहकों के खाते को बंद करने का विकल्प सदा खुला रहेगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• बचत खातों पर अतिरिक्त दिशानिर्देश	1
• केवाईसी के अंतर्गत सावधिक अद्यतन पर स्पष्टीकरण	1
• बासेल-।।। - अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रबंधन	2
• व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग	2
• "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता समूहों का वित्तपोषण	2
वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतियोगिता	2
सहकारी बैंकिंग	
• पूरे नाम का प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना	2
• स्वर्ण ऋण - एकबारगी चुकौती (बुलेट रीपेमेंट)	2
• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा	2
• पीएमएलए - पदनामित निदेशक	2
गैर बैंकिंग विनियमन	
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियामक ढांचा संशोधित	3
चेक संबंधी धोखाधड़ी - रोकथाम के उपाय	4

बासेल-।।। - अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने 03 नवंबर 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि वे अंतर्दिवसीय चलनिधि की स्थिति की निगरानी करने हेतु समुचित कार्यनीति, जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रथाएं विकसित करें ताकि विनियामक रिपोर्टिंग की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही निगरानी साधनों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जा सके। तदनुसार, बैंकों से अपेक्षित है कि वे 01 जनवरी 2015 से मासिक आधार पर रिज़र्व बैंक को अपने निगरानी साधानों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि ''चलिनिधि मानक संबंधी बासेल-।।। ढांचा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम के निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक'' से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के कार्यान्वयन के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग

नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 29 अक्टूबर 2014 को व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) की नियुक्ति पर मौजूदा दिशानिर्देशों की निम्नानुसार समीक्षा की है :

पात्र व्यक्ति/संस्थाएं

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशि न लेनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) को व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

दूरी मानदंड

- ग्रामीण बैंकों को परिचालनात्मक स्वतंत्रता देने के विचार से तथा बैंकिंग क्षेत्र के तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए, दूरी मानदंड से संबंधित शर्तों को हटाने का निर्णय लिया गया है। तथापि, वर्तमान दूरी मानदंड को संशोधित करने के सबंध में निर्णय लेने के लिए, व्यवसाय प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड अनुमत नीति तैयार करते समय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा ग्राहक सेवा के प्रावधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसाय प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा कामकाज से उत्पन्न होनेवाले प्रतिष्ठा से संबंधी संभाव्य जोखिमों का निवारण करने के लिए कदम उठाना जारी रखें।

''भूमिहीन किसान'' के संयुक्त देयता समूहों का वित्तपोषण

रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2014 के "भूमिहीन किसान" के संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश जारी किए और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया कि वे इन दिशानिर्देशों का पालन करें जो जेएलजी के वित्तपोषण पर नाबार्ड से प्राप्त इनपुट पर आधारित हैं। जेएलजी स्वरूप के वित्तपोषण के माध्यम से भूमिहीन किसानों के वित्तपोषण में भारत सरकार द्वारा दी जा रही प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे जेएलजी वित्तपोषण में प्रगति की गहन निगरानी करें जिसकी निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से की जाएगी और उसकी समीक्षा तिमाही आधार पर बैंकों के उच्चतम कारपोरेट स्तर पर की जाएगी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुनः यह सूचित किया है कि वे निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार मासिक आधार पर नाबार्ड (माइक्रो ऋण नवोन्मेषण विभाग) को जेएलजी वित्तपोषण पर प्रगति रिपोर्ट भेजें।

कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों दोनों के लिए जेएलजी वित्तपोषण हेतु नाबार्ड द्वारा विकसित संशोधित दृष्टिकोण (i) स्वयं सहायता समूहों के भीतर और बाहर जेएलजी को सशक्त बनाने (ii) जेएलजी के उन्नयन में समूह दृष्टिकोण; (iii) बैंक वित्त के लिए जेएलजी का आकलन; (iv) प्रशिक्षण अपेक्षाएं; (v) जेएलजी के उन्नयन के लिए प्रोत्साहन; (vi) नाबार्ड पुनर्वित्त और (vii) जेएलजी के माध्यम से वित्तपोषण की निगरानी और समीक्षा से संबंधित है।

सहकारी बैंकिंग

पूरे नाम का प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना

रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2014 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को यह सूचित किया कि जहां पर भी उनका लघु/संक्षिप्त रूप में नाम प्रयुक्त हो रहे हैं वहां पंजीकरण प्रमाण-पत्र और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस पर प्रकाशित पूरे नाम का प्रधान रूप में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, पूर्ण नाम के लिए प्रयुक्त फॉन्ट का आकार किसी भी कारणवश लघु/संक्षिप्त नाम/लागो के लिए प्रयुक्त फॉन्ट के आकार से छोटा न हो।

स्वर्ण ऋण - एकबारगी चुकौती (बुलेट रीपेमेंट)

रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2014 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा एकबारगी चुकौती विकल्प योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा को कतिपय शर्तों के अधीन बढ़ाकर एक लाख रुपये से दो लाख रुपये किया।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा

रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को 28 नवंबर 2014 से चलनिधि प्रबंधन हेतु एक और सहारा देने का निश्चय किया है। इसके अंतर्गत ऐसे कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) साधित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) उपलब्ध कराई जाएगी, जिनका सीआरएआर (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात) कम-से-कम 9 प्रतिशत हो और साथ ही जो एलएएफ के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

पीएमएलए - पदनामित निदेशक

रिज़र्व बैंक ने 5 नवंबर 2014 को स्पष्ट किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहरी सहकारी (प्राथमिक) बैंक वरिष्ठ प्रबंधन में शामिल या समवर्ती पद के एक व्यक्ति को 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित कर सकते हैं। तथापि किसी भी हालत में प्रधान अधिकारी को 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित न किया जाए।

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतियोगिता

भारतीय रिज़र्व बैंक का **कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)**, पुणे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। निबंध प्रतियोगिता 2014 का विषय है -''भारत को वित्तीय साक्षर देश कैसे बनाया जाए - कार्यनीतियां''।

यह प्रतियोगिता प्रतिभागियों के दो समूहों अर्थात (i) विभिन्न बैंकों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा (ii) छात्रों, शिक्षाविदों, वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं और आम जनता की भागीदारी के लिए खुली है। प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2014 है और परिणाम 30 जनवरी 2015 को घोषित किए जाएंगे।

प्रत्येक चैनल के अंतर्गत पुरस्कार जीतने वाले प्रतिभागियों को एक प्रमाण-पत्र और प्रथम पुरस्कार के लिए ₹20,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए ₹15,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार के लिए ₹10,000 रुपए और सांत्वना पुरस्कार के लिए ₹5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता के ब्यौरे महाविद्यालय की वेबसाइट http://cab.org.in पर उपलब्ध हैं।

गैर बैंकिंग विनियमन

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियामक ढांचा संशोधित

रिज़र्व बैंक ने 10 नवंबर 2014 को एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र में क) जोखिमों, जहां भी मौजूद हों, को दूर करने, ख) विनियामक खामियों और विभिन्न विनियमावलियों, क्षेत्र-विशेष और अन्य वित्तीय संस्थाओं दोनों के मामले में पैदा होने वाले अंतरपणन (आर्बिट्राज) से निपटने, ग) एनबीएफसी के बीच एक सुचारु अनुपालन पद्धति को सुसाध्य बनाने हेतु विनियमों में ताल-मेल बिठाने और उन्हें सरल बनाने, तथा घ) नियंत्रण मानकों को सुदृढ बनाने की दृष्टि से एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के विनियामक ढांचे में संशोधन किया है। कालांतर में एनबीएफसी के गतिविधिमूलक विनियम की ओर अग्रसर होने के लिए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के विनियामक ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं :

₹200 लाख की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की अपेक्षा

एनबीएफसी के लिए यह अपेक्षित है कि वे एनबीएफआई (गैर-बैंकिंग वित्तीय इंटरमीडियरी) का कारोबार शुरू/चलाने हेतु रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीओआर) प्राप्त करें और समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) रखें। वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ बनाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा एनबीएफसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जटिलता के मद्देनज़र सभी एनबीएफसी को निम्नलिखित न्यूनतम एनओएफ रखना अनिवार्य है :

- मार्च 2016 के अंत में ₹100 लाख
- मार्च 2017 के अंत में ₹200 लाख

ऐसी एनबीएफसी, जिसकी एनओएफ ₹200 लाख से कम हो, को सांविधिक लेखापरीक्षकों का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्होंने उक्त दोनों वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित स्तरों का अनुपालन कर लिया है।

जो एनबीएफसी विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंदर निर्धारित उच्चतम सीमा को हासिल नहीं कर लेती हों वे एनबीएफसी के रूप में सीओआर रखने के लिए पात्र नहीं होंगी। रिज़र्व बैंक ऐसी एनबीएफसी के विरुद्ध सीओआर रद्द करने की प्रक्रिया की पहल करेगा।

जमाराशि स्वीकारना

- सभी जमाराशि स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के लिए जमाराशि स्वीकारने संबंधी विनियमों में एकरूपता लाना तथा आम जनता से जमाराशि स्वीकारने के संबंध में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें केवल रेटिंग प्राप्त एनबीएफसी-डी ही अस्तित्व में रहेंगी और जिसके लिए गैर रेटिंग प्राप्त आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) को 31 मार्च 2016 तक अपनी रेटिंग करानी होगी।
- जो एएफसी 31 मार्च 2016 तक निवेश ग्रेड की रेटिंग प्राप्त नहीं कर लेती हैं, उन्हें मौजूदा जमाराशि को नवीकृत करने या नए सिरे से जमाराशि स्वीकारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बीच की अवधि में अर्थात् 31 मार्च 2016 तक गैर रेटिंग प्राप्त एएफसी या अव-निवेश ग्रेड की रेटिंग प्राप्त एएफसी परिपक्वता अवधि समाप्त होने वाली जमाराशियों का ही नवीकरण कर सकती हैं और वे तब तक नए सिरे से जमाराशि प्राप्त नहीं कर सकतीं जब तक उन्हें निवेश ग्रेड की रेटिंग प्राप्त न हो जाती।
- जहां तक रेटिंग प्राप्त एएफसी का प्रश्न है इस समग्र क्षेत्र के लिए जमाराशि स्वीकारने की सीमा को 10 नवंबर 2014 से एनओएफ के 4 गुणे से घटाकर 1.5 गुणा कर दिया गया है।

प्रणालीगत महत्त्व

एनबीएफसी क्षेत्र के विकास में हो रही समग्र वृद्धि के आलोक में समूची प्रणाली में गैर जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के महत्त्व के स्तर की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। अतः केवल उन एनबीएफसी-एनडी को ही प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) कहा जाएगा जिनकी आस्ति का स्तर अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार ₹500 करोड़ और उससे अधिक हो। प्रणालीगत रूप से महत्त्व के स्तर में किए गए इस संशोधन के कारण एनबीएफसी-एनडी को दो व्यापक वर्गों में बांटा जाएगा (i) एनबीएफसी-एनडी (जिनकी आस्ति ₹500 करोड़ से कम हो) और (ii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई (जिनकी आस्ति ₹500 करोड़ और उससे अधिक हो)।

बहु एनबीएफसी

ऐसी एनबीएफसी को स्टैंडअलोन आधार की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा जो किसी कॉरपोरेट समूह का अंग हो या जिनका प्रवर्तन साझे प्रवर्तक समूह द्वारा किया जाता हो। किसी समूह में रहने वाली सभी एनबीएफसी, जिनके अंतर्गत जमा स्वीकारने वाली एनबीएफसी, यदि कोई हों, भी शामिल हैं, की कुल आस्तियों को हिसाब में लेकर यह निर्धारण किया जाएगा कि इनका कुल जोड़ आस्ति के उपर्युक्त दो वर्गों में से किसके अंतर्गत आता है। समूह में रहने वाली प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी पर ऐसे सभी विनियम लागू होंगे जो उपर्युक्त वर्गों पर लागू होते हों।

विवेकपूर्ण मानदंड

₹500 करोड़ से कम आस्ति वाली एनबीएफसी-एनडी के संबंध में निम्नानुसार विनियामक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा :

- यदि उन्होंने आम जनता से निधि प्राप्त नहीं की हो और जो ग्राहक से सीधा व्यवहार नहीं कर रही हों तो उन्हें किसी प्रकार के विवेकपूर्ण विनियमों या कारोबारी आचरण संबंधी विनियमों, जैसे उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी), अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), आदि के अधीन नियंत्रित नहीं किया जाएगा।
- जो ग्राहक से सीधा व्यवहार करती हों, किंतु आम जनता से निधि नहीं प्राप्त करती हों, उन्हें केवल कारोबारी आचरण संबंधी विनियमों, जिनके अंतर्गत एफपीसी, केवाईसी आदि शामिल हैं, के अधीन नियंत्रित किया जाएगा।
- जो जनता से जमा स्वीकार कर रही हों, किंतु ग्राहक से सीधा व्यवहार नहीं करती हों, उन्हें सीमित विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन नियंत्रित किया जाएगा और कारोबारी आचरण संबंधी विनियमों के अधीन नहीं नियंत्रित किया जाएगा।
- जो कंपनियां आम जनता से निधि प्राप्त कर रही हों और साथ में ग्राहक से सीधा व्यवहार भी कर रही हों उन्हें विवेकपूर्ण विनियमों और कारोबारी आचरण संबंधी विनियमों दोनों के अधीन नियंत्रित किया जाएगा।
- एनबीएफसी चाहे किसी भी वर्ग के अंतर्गत शामिल हों उनका पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आईए के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है।
- उपर्युक्त सभी एनबीएफसी को एक सरलीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी।

₹500 करोड़ और उससे अधिक राशि की आस्ति रखने वाली सभी एनबीएफसी-एनडी, चाहे जो आम जनता से निधि स्वीकार कर रही हों या नहीं, को उन सभी विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करना होगा जो एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू होते हों। यदि वे ग्राहक से सीधा व्यवहार करें तो उन्हें कारोबारी आचरण संबंधी विनियमों का पालन करना होगा।

₹500 करोड़ और उससे अधिक राशि की आस्ति रखने वाली सभी एनबीएफसी-एनडी और सभी एनबीएफसी-डी को 10 प्रतिशत की न्यूनतम टियर 1 पूंजी बनाए रखनी होगी। संशोधित टियर 1 पूंजी का अनुपालन दो चरणों में किया जाए : मार्च 2016 के अंत तक 8.5 प्रतिशत; मार्च 2017 के अंत तक 10 प्रतिशत।

आस्ति का वर्गीकरण

एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी से संबंधित आस्ति वर्गीकरण मानदंड संबंधित बैंकों के अनुरूप निर्धारित किया गया है और उन्हें चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार लागू किया जाएगा :

- पट्टा किराए और किराया खरीद वाली आस्तियां उस स्थिति में अनर्जक आस्ति (एनपीए) बन जाएंगी जब 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार नौ माह (वर्तमान में 12 महीने) तक बकाया रह जाती हों;
- 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को पट्टा किराए और किराया खरीद वाली आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियां 5 माह से अधिक

पृष्ठ 4 पर जारी.....

ई-एमसीआईआर

किफायत और हरित पहल की ओर कदम बढ़ाते हुए मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) अब केवल ई-रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पाठक एमसीआईआर को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.mcir.rbi.org.in) से प्राप्त सकते हैं। अतः 01 जनवरी 2015 से व्यक्तिगत रूप से पाठकों को एमसीआईआर ई-मेल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

संपादक

Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

चेक संबंधी धोखाधड़ी - रोकथाम के उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 नवंबर 2014 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि वे चेक प्रस्तुति/स्वीकृति तथा खाता निगरानी प्रक्रियाओं में नियंत्रणों की समीक्षा करें तथा उन्हें सशक्त बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि रोकथाम उपायों सहित सभी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का संबंधित स्टाफ/अधिकारियों द्वारा ध्यानपूर्वक पालन किया जाता है। रोकथाम के कुछ उपायों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है जिनका अनुपालन बैंक कर सकते हैं:

- चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)-2010 अनुपालित चेकों के 100 प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित करना;
- चेक लेन-देन सेवा शाखाओं पर बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना। सीटीएस आधारित क्लियरिंग हेतु लगाए गए उपकरण तथा नियुक्त कर्मचारी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना ताकि यह मात्र यांत्रिक प्रक्रिया न रहे;
- यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी केवाईसी के अनुरूप है ताकि जब तक वह बैंक का ग्राहक बना रहे तब तक बैंक उससे आसानी से संपर्क स्थापित किया जा सके;
- एक सीमा जैसे कि 2 लाख रुपये से ऊपर के सभी चेकों की यू वी लैंप से जांच करना;
- एक सीमा जैसे कि 5 लाख रुपये से ऊपर के चैकों की विभिन्न स्तरों पर जांच करना;
- जोखिम वर्गीकरण के आधार पर नए खोले गए लेनदेन खातों में जमा तथा नामे राशि की सूक्ष्म निगरानी करना;
- जब चेक क्लियरिंग में प्राप्त हो जाये तो भुगतानकर्ता/आहरणकर्ता को एसएमएस अलर्ट भेजना;

उपर्युक्त के अतिरिक्त, संदेहास्पद या बड़ी राशि के चेकों (खाते के सामान्य स्तर के परिचालनों के संबंध में) के लेन-देन हेतु बैंक निम्नलिखित रोकथाम उपायों पर विचार कर सकते हैं:

- फोन काल द्वारा ग्राहक को अलर्ट करना तथा भुगतानकर्ता/ आहरणकर्ता से पुष्टि प्राप्त करना;
- नॉन-होम चेकों के मामले में मूल शाखा से संपर्क करना।

यदि उपर्युक्त उपायों को प्रणालीगत रूप से लागू करना संभव न हो तो उन्हें चयनात्मक आधार पर अपनाया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से समुचित सावधानी के उपाय करने के लिए भी कहा है कि गोपनीय सूचना जैसे कि ग्राहक का नाम/ खाता संख्या/ हस्ताक्षर, चेक क्रम संख्या तथा अन्य संबन्धित जानकारी का बैंक या वेंडर (प्रिन्टर, कूरियर इत्यादि) द्वारा आपसी मिलीभगत से दुरुपयोग न होने पाये। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पुनः यह सूचित किया है कि वे उचित सावधानी के उपाय करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा काउंटरों पर चेक प्रस्तुत करने या वसूली बॉक्सों में डाले जाने के समय से ही चेकों की हैंडलिंग में समुचित सावधानी बरती जाये। प्राप्त सूचनानुसार, कुछ मामलों में यद्यपि मूल चेक ग्राहक के पास थे, तथापि उसी क्रम के चेकों को धोखाधड़ीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कर पैसे निकाल लिए गए।

रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2014 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे चेक प्रस्तुति/पारित किए जाने और खाता निगरानी प्रक्रिया में नियंत्रण की समीक्षा करें और उसे सुदृढ़ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि रोकथाम उपायों सहित सभी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों इस पर कार्य करने वाले स्टाफ/अधिकारियों द्वारा सावधानी से पालन किया जाता है।

पृष्ठ 3 से जारी.....

अवधि के लिए अतिदेय रह जाने पर एनपीए बन जाएंगी;

- सभी ऋण एवं किराया खरीद और पट्टा किराए की आस्तियों के मामले में अव-मानक आस्ति का तात्पर्य ऐसी आस्तियों से है जिन्हें 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को 16 माह (वर्तमान में 18 माह) तक की अवधि के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- सभी ऋण एवं किराया खरीद और पट्टा किराए की आस्तियों के मामले में संदिग्ध आस्ति का अभिप्राय ऐसी आस्तियों से है जो 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष को 16 माह (वर्तमान में 18 माह) से अधिक अवधि के लिए अव-मानक श्रेणी में चली गई हैं;
- 31 मार्च 2017 और 2018 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए अतिदेय अवधि को घटा दिया जाएगा।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

- एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा सभी एनबीएफसी-डी के मामले में मानक आस्तियों के प्रावधानीकरण को चरणबद्ध रूप से 0.40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो कि मार्च 2016, मार्च 2017 और मार्च 2018 के लिए क्रमशः 0.30 प्रतिशत, 0.35 प्रतिशत और 0.40 प्रतिशत होगा।

एएफसी के लिए क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण मानदंड

जहां तक पूर्व में मंज़ूर किए गए ऋणों को छोड़कर अन्य सभी नए ऋणों का प्रश्न है एएफसी के लिए क्रेडिट संकेंद्रण मानदंड तत्काल प्रभाव से अन्य सभी एनबीएफसी से संबंधित मानदंडों के अनुरूप होंगे। मौजूदा सभी बेशी एक्सपोज़र उनकी परिपक्वता अवधि तक चालू रहेंगे।

एनबीएफसी के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस और प्रकटीकरण मानदंड

20 करोड़ रुपये और उससे अधिक जमाराशि रखने वाली एनबीएफसी-डी तथा 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति रखने वाली एनबीएफसी-एनडी को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित है; 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक जमाराशि वाली एनबीएफसी-डी तथा 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति रखने वाली एनबीएफसी-एनडी को सूचित किया गया है कि वे प्रस्तावित/विद्यमान निदेशकों और जोखिम प्रबंधन समिति की 'योग्य व उपयुक्त' हैसियत को सुनिश्चित करने हेतु एक नामांकन समिति का गठन करने पर विचार करें।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की तीन समितियों का गठन और भागीदारों के आवर्तन संबंधी अनुदेश अब सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई के साथ-साथ एनबीएफसी-डी पर भी लागू होंगे। अन्य एनबीएफसी को भी बढ़ावा दिया जाता है कि वे पहले से ऐसी प्रथाओं का पालन कर रही हैं तो उन्हें बरकरार रखें। सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी की लेखापरीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के सम्मुख पैदा होने वाले परिचालनात्मक जोखिमों का मूल्यांकन करने हेतु कम-से-कम दो वर्ष में एक बार आंतरिक प्रणालियों व प्रक्रियाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा कराई जाती है।

निदेशकों के लिए योग्य और समुचित मानदंड

31 मार्च 2015 से सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी यह सुनिश्चित करेंगी कि निदेशकों की नियुक्ति करते समय योग्य और समुचित मानदंड को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नीति चलन में है और उस नीति को आगे भी जारी रखा जाए। एनबीएफसी अपने निदेशकों से एक घोषणा व वचन-पत्र प्राप्त करें और निदेशक एक प्रसंविदा विलेख पर हस्ताक्षर करेंगे। एनबीएफसी बदले गए निदेशकों के परिवर्तन के संबंध में रिज़र्व बैंक को लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित तिमाही विवरण भेजेंगी। साथ ही, अपने प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगी कि निदेशकों के चयन में योग्य और उपयुक्त मानदंड का पालन किया गया।

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण

विद्यमान प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई (यथा पुनः परिभाषित) और सभी एनबीएफसी-डी को संशोधित दिशा-निर्देशों में बताए अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त प्रकटकीकरण करने होंगे।

उपर्युक्त संशोधन एनबीएफसी-एमएफआई पर भी लागू होंगे और जहां भी इन संशोधनों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (रिज़र्व बैंक) संबंधी निदेश, 2011 के उपबंधों में विरोधाभास पैदा हो जाता है वैसे मामले में निदेशों का पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, उपर्युक्त संशोधन पंजीकृत मूल निवेश कंपनियों पर लागू होंगे और जहां भी इन संशोधनों एवं मूल निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) संबंधी निदेश, 2011 के उपबंधों में विरोधाभास पैदा हो जाता है वैसे मामले में निदेशों का पालन किया जाएगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**